FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

ACEM.. मुकाम बहरोड़, (अलवर)

विक्रमसिंह बनाम सुगनसिंह

दावा नं० 218 सन् 8-7-8-2012

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
7.8.12 दावा दर्ज रजि. हो। प्रतिवादीगण तलब हो। दिनांक 29/8/12 को पेश हो। सहायक कलेक्टर बहरोड़ (अलवर)	
29/8/12 आज पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित कर रखा है। पक्षकारान उप... पत्रावली दिनांक 31.10.12 को पेश हो। सहायक कलेक्टर बहरोड़	
31.10.12 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय प[illegible] उप.। पीठासीन अधिकारी अवकाश/[illegible] मिटिंग म पधारे हैं। पत्रावली उनके समक्ष दि० 23.1.13 को पेश हो।	
23.1.13 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप.। पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौ[illegible] मि[illegible] पधारे हैं। पत्रावली उनके समक्ष दि० 1.5.13 को पेश हो।	
1.5.13 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप.। पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौ[illegible] मिटिंग म पधारे हैं। पत्रावली उनके समक्ष दि० 31.7.13 को पेश हो।	
31.7.13 आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप.। पीठासीन अधिकारी अवकाश/दौ[illegible] मि[illegible] पधारे हैं। पत्रावली उनके समक्ष दि० 25.9.13 को पेश हो।	

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।

15-4-24 आज यह पत्रावली पेश हुई ...पक्षों... के वकील उपस्थित है....तलबी...को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते....रजि.-तलबी दिनांक ..2-7-24... को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

2-7-24 आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उप श्री पीठासीन अधिकारी अ... कार्य हेतु मिटिंग मे पधारे है। पत्रावली उनके समक्ष दिं 28.8.24 को पेश हो।

28-8-24 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनाँक 23-9-24 को पेश हो।

रीडर

23-9-24 आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकेन के वकलाय उपस्थित है। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। उनके आने पर पत्रावली दिनांक 19.12.24 को पेश की जावे

19/12/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी, वादी के वकील अनुपस्थित। पत्रावली में बार-बार आवाज दिलाई गई, परन्तु वादी वादी के वकील उपस्थित नहीं आये और ना ही कोई सूचना ही प्राप्त हुई। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी, वाद चलाना ही नहीं चाहता है। अतः वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल रजि० दर्ज जावक से का की। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)